भाग–3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद अलीगढ़ में गुड़गांव पलवल ट्रान्समिशन द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–पलवल रोड़ (एस0एच0–22ए) को क्रास करते हुए 400 के0वी0 डी0/सी0 अलीगढ–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.1564 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उन पर अवस्थित 14 वृक्षों के पातन एवं 2 पौधों की क्षति की अनुमति हेतु प्रस्ताव। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथिः– 10-04-2017

स्थानः–अलीगढ़।